विशेष विष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
128 / 2024	30 / 08 / 2024	26 / 11 / 2024

1. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 छोटू माली आयु 81 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। वादी की ग्राम खवारानीजी में खाता सं0 60 के खसरा नम्बर 1131/967 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2500है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300है0 स्थित जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है और कृषि क्रार्य करते आ रहा है। वादी जब अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो मालूम चला की प्रार्थी का जमाबन्दी में नाम काना पुत्र छोटू जाति माली देह खातेदार अंकित दर्ज है जो कि गलत तथा लिपिकीय भूल वश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं शुद्व नाम कन्हैयालाल पुत्र छोटू है जो सही है। वादी को बचपन मे काना कह कर पुकारते थे इस कारण काना पुत्र छोटू व कन्हैयालाल पुत्र छोटू ये दोनों नाम वादी के ही है जिसे उक्त दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति दूसरा कोई नही है। वादी का खाता सं0 58, 59, 65, 287, 288 में वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र छोटू जाति माली स0देह खातेदार अंकित दर्ज है जो कि सही है। वादी के समस्त दस्तावेजों के अनुसार वादी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र छोटू अंकित है जो कि सही है। अतः वादी के वाद पत्र में वर्णित खसरो एवं खातों की राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी में त्रुटिवश गलत दर्ज नाम काना पुत्र छोटू जाति माली सा0देह खातेदार के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र छोटू जाति माली सा0देह खातेदार के नाम से शुद्व कर दुरूस्त करते हुये घोषणा करने की कृपा करें तथा खातेदार घोषित किया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/6016 दिनांक 18.11..2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र छोटू का घर का बोलता नाम काना था। सभी दस्तावेज कन्हैयालाल पुत्र छोटू के नाम है। खाता सं0 60 के अलावा सभी खातों के कन्हैयालाल पुत्र छोटू है। खाता सं0 60 में भी दस्तावेजों के आधार पर काना पुत्र छोटू के बजाय कन्हैयालाल पुत्र छोटू दुरस्त किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खवारानीजी में खाता सं0 60 के खसरा नम्बर 1131/967 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.3800है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.2500है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300है0 में वादीगण का नाम काना पुत्र छोटू के बजाय काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र छोटू घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
जमवारामगढ
जमवारामगढ